न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/2017

रामचन्द्र पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी चक 1 जी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।
2. चन्दुडी पत्नी लक्ष्मण
3. पतराम पुत्र लक्ष्मण
4. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण
5. हेतराम पुत्र लक्ष्मण
6. राजेश पुत्र लक्ष्मण

जाति बावरी निवासी चक 1 जी.डी. तहसील घडसाना हाल 6 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

7. कौशल्या पुत्री लक्ष्मण जाति बावरी निवासी चक 2 एम.एल.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 01.05.2017

उपस्थितिः—

श्री कृष्णलाल लदोईया , अभिभाषक अपीलांट
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
श्री सोहनलाल जोशी, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय

दिनांक :— 17.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 88, 188 का पेश कर चक 1 जी.डी.ए. के प.नं. 66/3 मु.लं. 31 के 6.0100 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 6 के मध्य विभाजन करने का एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 1 ने एक प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादी रामचन्द्र ने एक वाद अपर जिला एवं सैशन न्यायालय अनूपगढ में

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विनिर्दिष्ट अनुपालना का पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 15.09.2003 को हो गया, जिसको प्रतिवादी सं. 1 ने माननीय उच्च न्यायालय में जरिये अपील चुनौती दी जो स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील पेश की जिसका निर्णय होने के पश्चात दिनांक 21.08.2015 को प्रार्थीया को कब्जा दिलाया गया। अब वादी रामचन्द्र द्वारा बैयनामा दिनांक 07.02.1995 के आधार पर वाद पेश किया है जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया जावे। उक्त प्रा.पत्र का जबाब वादी/अपीलांट ने पेश कर निवेदन किया कि वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। प्रार्थी ने प्रा.पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वे मानने योग्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 01.05.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा जबाब दावा लेकर उनपर तनकीयात कायम करने के पश्चात , दोनों पक्ष की साक्ष्य लेकर ही निर्णय करना चाहिए था। ऐसे वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय तक निर्णय हो चुका है। वादी/अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर अधी. न्यायालय में वाद पेश किया था। उक्त वाद में रेस्पों. /प्रतिवादी ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो अधी. न्यायालय ने स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

17/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.05.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें वादिया/रेस्पों. का प्रा.पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार कर अपीलांट का दावा खारिज किया है वह गलत खारिज किया है। तकनीकि आधार आदेश 7 नियम 11 के प्रा. पत्र पर निस्तारण की बजाए दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात निर्मित , विनिश्चय हेतु अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। हलांकि अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र के निर्णय में सार बिन्दु तो समाहित किया है। परन्तु सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(डी) की परिधि में विवेचित होने के साथ अधी. न्यायालय का सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों का उपयोग करते हुए More relevant provision of law सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 Resjudicata का भी विवेचन किये जाने पर Apex न्यायालय के निर्णय पश्चात " No Court should try suit " भी समाहित किया जाना अपेक्षित था जो नहीं करने पर इस न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय के मार्फत अधी. न्यायालय के निर्णय में यह समाहित करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

रामचन्द्र पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी चक 1 जी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।
2. चन्दुडी पत्नी लक्ष्मण
3. पतराम पुत्र लक्ष्मण — जाति बावरी निवासी चक 1 जी.डी. तहसील
4. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण — घडसाना हाल 6 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ
5. हेतराम पुत्र लक्ष्मण — जिला श्रीगंगानगर।
6. राजेश पुत्र लक्ष्मण
7. कौशल्या पुत्री लक्ष्मण जाति बावरी निवासी चक 2 एम एल डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 64/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम घडसाना मुर्क्ख 01 माह 05 सन् 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 17 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री कृष्णलाल लदोईया अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता एवं सोहनलाल जोशी अभिभाषक रेस्पों. समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर